

3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इरा हुक्म की तामील में जारी हुए
02-01-2023	<p>गोविन्द राजपुरोहित बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 389 / 2022</p> <p>अपीलार्थी गोविन्द राजपुरोहित पुत्र मोहनलाल राजपुरोहित निवासी म.नं. 18, द्वितीय बी रोड, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.10.2022 में (1) राजस्व न्यायालयों के द्वारा सम्मन/नोटिसेज की तामील तहसील औसियां के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामों के लिए अधिकृत ऑफिसर/कर्मचारी का नाम मय पद व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 2218 दिनांक 30.11.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर तहसील कार्यालय औसियां से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत तहसीलदार औसियां को कार्यालय पत्रांक 1799 दिनांक 13.10.22 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।</p> <p>चूंकि प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार औसियां को विधिक प्रक्रिया के तहत स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा तहसीलदार औसियां द्वारा सूचना नहीं दी गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	